



2026:AHC-LKO:20253

इलाहाबाद उच्च न्यायालय**लखनऊ****रिट-ए संख्या - 4165 वर्ष 2025**

ईश नारायण मिश्रा

.... याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव

गृह लखनऊ एवं 4 अन्य

.... प्रतिवादीगण(गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता

: अजितांशु त्रिपाठी

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता

: मुख्य स्थाई अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-7**माननीय न्यायमूर्ति मनीष माथुर**

1. याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता अजितांशु त्रिपाठी को तथा विरोधी पक्षों के विद्वान राज्य अधिवक्ता को सुना।

2. याचिका दिनांक 15.12.2019 के आदेश को चुनौती देते हुए दाखिल की गई है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता पर शासकीय आवास में अतिवास के लिए वसूली अधिरोपित की गई है। साथ ही, दिनांक 01.06.2020 के उस आदेश को भी चुनौती दी गई है जिसके द्वारा याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन को अस्वीकार किया गया। शासनादेश दिनांक 02.06.1992, 22.02.2003 तथा 01.12.2014 और वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड - 2, भाग 2 - 4 के नियम 45-क के अधीन बनाए गए सहायक नियमों के अनुसार वसूली की राशि के पुनर्गणना के लिए भी प्रार्थना की गई है तथा

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

वसूली योग्य राशि को रिट याचिका के प्रस्तर - 8 में दर्शाए अनुसार रुपये 5,85,650/- तक सीमित करने का भी निवेदन किया गया है। याचिकाकर्ता ने याचिकाकर्ता से वसूल की गई अधिक राशि की वापसी/समायोजन के लिए भी प्रार्थना की है तथा दिनांक 05.11.2013 से 23.12.2023 तक की अवधि के लिए रुपये 1,91,620/- की राशि के गृह किराया भत्ता (एचआरए) को निर्गत करने अथवा यदि कोई वसूल योग्य देय हो तो उसका समायोजन करने का भी निवेदन किया है।

3. यह प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता आरक्षी के पद पर पूर्व में जनपद लखनऊ में नियुक्त था। उक्त कार्यकाल के दौरान, उसे लखनऊ में शासकीय आवास प्रदान किया गया था। उसे तत्पश्चात दिनांक 06.11.2013 को स्थानांतरित किया गया।

4. यह प्रस्तुत किया गया कि चूँकि याचिकाकर्ता ने जनपद लखनऊ में उसे आवंटित शासकीय आवास को अपने पास बनाए रखा, अतः विरोधी पक्षों ने तत्पश्चात अतिवास के लिए याचिकाकर्ता के विरुद्ध वसूली अधिरोपित कर दी। विद्वान अधिवक्ता ने दिनांक 02.01.1992 के शासकीय आदेश, विशेषतः उसके प्रस्तर - 2 की ओर संकेत किया है, यह प्रस्तुत करने हेतु कि उपर्युक्त प्रावधान के अनुसार, स्थानांतरण की तिथि से अधिकतम सात माह की अवधि तक शासकीय आवास में अतिवास करने वाले कर्मचारी से मानक किराया वसूल किया जाना अपेक्षित है। उन्होंने दिनांक 22.02.2003 के शासनादेश की ओर भी संकेत किया है, जो प्रकार - 3 में आने वाले ऐसे आवासों के संबंध में, जिनका आवासीय कक्ष क्षेत्रफल 56 वर्ग मीटर से अधिक है, मानक किराए की दरों को स्पष्ट रूप से इंगित करता है। विद्वान अधिवक्ता ने दिनांक 21.11.2016 के परिपत्र की ओर भी संकेत किया है, यह दर्शाने हेतु कि उसके प्रस्तर - 6 में पूर्ववर्ती शासनादेशों के आलोक में दण्डात्मक किराया निर्धारित किया गया है तथा उन दरों को इंगित किया गया है जिनके अनुसार दण्डात्मक किराया वसूल योग्य है। उन्होंने दिनांक 01.12.2014 के शासकीय आदेश की ओर भी संकेत किया है, जो देय दण्डात्मक किराए की राशि को इंगित करता है।

5. विद्वान अधिवक्ता ने प्रश्नगत वसूली आदेश की ओर भी संकेत किया है, यह दर्शाने हेतु कि याचिकाकर्ता को प्रदान किए गए आवास का आवासीय कक्ष क्षेत्रफल 79 वर्ग मीटर है और इसलिए वह प्रकार - 3 के अंतर्गत आता है। शासनादेश के आलोक में, यह प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता के स्थानांतरण के पश्चात, विरोधी पक्षों द्वारा केवल सात माह की अवधि के उपरांत ही याचिकाकर्ता से मानक

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

किराया कटौती किया जाना अपेक्षित था, जिसके पश्चात निर्धारित दर पर दण्डात्मक किराया वसूल किया जाना आवश्यक था, विशेषतः रुपये 120/- प्रति वर्ग मीटर की दर से। तत्पश्चात् उन्होंने प्रश्नगत आदेश की ओर संकेत करते हुए यह प्रस्तुत किया है कि यद्यपि दण्डात्मक किराया अधिरोपित किए जाने का पक्ष प्रति वर्ग मीटर ₹120/- की दर से दर्शाया गया है, किन्तु वसूली की राशि की गणना दर्शाने वाली सारणी में दण्डात्मक किराया के संबंध में कोई ऐसी गणना नहीं है और दर्शाई गई गणना केवल मानक किराया की है जिसे दोगुना तथा तिगुना किया गया है और आगे चलकर उसे चक्रवृद्धि किया गया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि सारणी में दर्शाया गया ₹3,160/- का मानक किराया भी किसी आधार के बिना है, क्योंकि मानक किराया की ऐसी कोई दर निर्धारित नहीं है।

6. विद्वान अधिवक्ता ने पूरक शपथ पत्र की ओर भी संकेत करते हुए यह प्रस्तुत किया कि स्थानांतरण की तिथि से सात माह की अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही याचिकाकर्ता ने शासकीय आवास में निवास जारी रखने की अनुमति हेतु एक आवेदन प्रस्तुत किया था जो प्राप्त कर लिया गया था किन्तु उस पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया।

7. उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि अन्यथा भी, स्थानांतरण के उपरांत, याचिकाकर्ता स्थानांतरण स्थल पर शासकीय आवास के साथ-साथ गृह किराया भत्ता (एचआरए) की राशि का भी हकदार था, जो कभी भी याचिकाकर्ता को अदा नहीं की गई, जिसे वसूल की जाने वाली राशि में समायोजित किया जाना भी अपेक्षित था।

8. विद्वान राज्य अधिवक्ता ने दिनांक 30.08.2025 के प्रति-शपथपत्र के आधार पर याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों का खंडन करते हुए यह प्रस्तुत किया कि जब याचिकाकर्ता लखनऊ में पदस्थ था, तब उसे नवीन 02 प्रकार-3 संख्या वाला एक आवास आवंटित किया गया था और उसके स्थानांतरण के अनुपालन में, दिनांक 06.11.2013 को उसे शासकीय आवास रिक्त करना अपेक्षित था, जिसे अंततः दिनांक 06.05.2022 को रिक्त किया गया और इस प्रकार वह उपर्युक्त तिथियों के मध्य उक्त आवास का अनधिकृत अधिभोगी था तथा उससे मानक एवं दण्डात्मक किराया शासनादेशों तथा वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-II भाग 2 से 4 के प्रावधानों के अनुसार वसूल किया गया है। उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **एस०डी० बांडी बनाम डिविजनल ट्रैफिक ऑफिसर्स कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एवं अन्य**, दर्ज (2013) 12 एससीसी 631 में प्रदत्त निर्णय का भी उल्लेख करते हुए यह प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता पर लखनऊ से

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

स्थानान्तरण के पश्चात समयबद्ध रूप से शासकीय आवास रिक्त करने का विधिक दायित्व था। यह भी प्रस्तुत किया गया कि पूर्व में दिनांक 15.12.2019 का मानक आदेश याचिकाकर्ता से किराया कटौती के संबंध में निर्गत किया गया था, जिसे रिट याचिका संख्या 3448 (एसएस) वर्ष 2020 में चुनौती दी गई थी, जो दिनांक 14.12.2020 के आदेश द्वारा निस्तारित की गई, तथा उसके अनुपालन में याचिकाकर्ता का प्रत्यावेदन अस्वीकृत कर दिया गया।

8. यह आगे प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध उस पर लागू शासनादेशों के अनुसार, विशेषतः दण्डात्मक किराया अधिरोपण के संबंध में, वसूली की कार्यवाही प्रारंभ की गई है।

9. उन्होंने इस पहलू का भी विवाद किया कि याचिकाकर्ता ने शासकीय आवास धारण हेतु समयवृद्धि के लिए कभी कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया।

10. पक्षकारों के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन से यह स्पष्ट एवं स्वीकृत है कि कर्मचारी के स्थानान्तरण के पश्चात सात माह की अवधि के लिए, शासनादेश दिनांक 21.11.1992 के अनुसार, उससे मानक किराया अधिरोपित किया जाना अपेक्षित है। मानक किराये की दरें शासनादेश दिनांक 22.02.2003 में निर्दिष्ट की गई हैं। यह भी स्वीकृत है कि उपर्युक्त सात माह की अवधि के पश्चात ऐसे शासकीय कर्मचारी से दण्डात्मक किराया अधिरोपित किया जाना देय है, जिसमें दण्डात्मक किराया शासनादेश दिनांक 01.12.2014 तथा परिपत्र दिनांक 21.11.2016 में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट है।

11. उपर्युक्त तथ्यों के अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि ऐसे कर्मचारी के कब्जे में स्थित आवास के रहने योग्य कक्ष के क्षेत्रफल के प्रति वर्ग मीटर के अनुसार ₹120/- की दर से दण्डात्मक किराया अधिरोपित किया जाना अपेक्षित है। मानक किराये के दोगुना अथवा तिगुना का कोई प्रावधान परिलक्षित नहीं होता है, जबकि यह सुविधा केवल स्थानान्तरण की तिथि से प्रारंभिक सात माह की अवधि हेतु मानक किराये के अधिरोपण के संबंध में उपलब्ध है।

12. उपर्युक्त शासनादेशों एवं परिपत्र के वर्तमान तथ्यों एवं परिस्थितियों में लागू होने पर यह प्रतीत होता है कि प्रश्नगत आदेश दिनांक 15.12.2019 में, यद्यपि ₹120/- प्रति वर्ग मीटर की दर से दण्डात्मक किराया अधिरोपित किए जाने का उल्लेख किया गया है, तथापि सारणी में याचिकाकर्ता से वसूल की जाने वाली राशि

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

की गणना के संबंध में ऐसा कोई आकलन परिलक्षित नहीं होता है तथा ₹3,160/- के रूप में निर्दिष्ट मानक किराये को दोगुना, तिगुना एवं चक्रवृद्धि करते हुए ही ₹17,53,800/- की राशि की गणना की गई है।

13. उपर्युक्त की गई चर्चाओं के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता से शासनादेशों एवं परिपत्र के अनुसार मानक किराया तथा दण्डात्मक किराया वसूल किया गया है।

14. उपर्युक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में, प्रश्नगत आदेश दिनांक 15.12.2019 को इस प्रकार उत्प्रेषण की प्रकृति में रिट जारी कर निरस्त किया जाता है तथा विरोधी पक्षों को यह स्वतंत्रता प्रदान की जाती है कि वे याचिकाकर्ता से शासकीय आवास में उक्त अवधि तक अतिवास के लिए वसूल की जाने वाली राशि का पुनः गणना करें, केवल उपर्युक्त उल्लिखित शासनादेशों एवं परिपत्रों या ऐसे अन्य शासनादेशों/परिपत्रों के अनुसार जो उक्त अवधि के लिए याचिकाकर्ता पर लागू हो सकते हों, इस आदेश की प्रमाणित प्रति संबंधित प्राधिकारी पर प्रस्तुत किए जाने की तिथि से छह सप्ताह की अवधि के भीतर।

15. उपर्युक्त वसूल की जाने वाली राशि के पुनः गणना उपरांत, यदि वही याचिकाकर्ता से पूर्व में वसूल की गई राशि से कम पाई जाती है, तो अधिशेष वसूल की गई राशि का समायोजन किया जाएगा अथवा उसे चार सप्ताह की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता को वापस किया जाएगा।

16. विरोधी पक्षगण याचिकाकर्ता को देय गृह किराया भत्ता (एचआरए) के भुगतान के पहलू पर भी विचार करेंगे तथा उन्हें यह स्वतंत्रता होगी कि वे उक्त राशि का समायोजन याचिकाकर्ता से वसूल की जाने वाली राशि में कर दें अथवा उक्त गणना किए जाने की तिथि से छह सप्ताह की अवधि के भीतर उसका भुगतान याचिकाकर्ता को कर दें।

17. परिणामस्वरूप, याचिका सफल होती है एवं स्वीकार की जाती है। पक्षकार अपने-अपने व्यय वहन करेंगे।

19 मार्च, 2026

लक्ष्मण

(न्यायमूर्ति मनीष माथुर)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।